

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2016 / मृ.आ. / कार्मिक / प्रमुवसं / 636

दिनांक : 12/6/24

-:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3 (1) 2016/मृ.आ./कार्मिक/प्रमुवसं/11456-11568 दिनांक 22.09.2016 द्वारा मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों में वनपाल/वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 23 के अन्तर्गत चयन समिति का गठन किया गया है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3 (1) 2016/मृ.आ./कार्मिक/प्रमुवसं/833-984 दिनांक 01.02.2017 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों के मनोनयन का आदेश प्रसारित किया गया है। उक्त आदेश एवं समय-समय पर उक्त आदेश के क्रम में किए गए समस्त आदेशों को अधिलंघित करते हुए निम्नानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में निम्न अधिकारियों को मनोनीत किए जाने के आदेश प्रसारित किए जाते हैं।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के प्रतिनिधि अधिकारी
1	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
2	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
3	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा
4	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर
5	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
6	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

7	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
8	मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव), जयपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर
9	मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव), जोधपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जोधपुर
10	मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव), उदयपुर	उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) उदयपुर
11	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा	प्रावैधिक सहायक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा
12	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजन सरिस्का, अलवर	उप वन संरक्षक (विस्थापन) कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजन सरिस्का, अलवर
13	वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर	प्रावैधिक सहायक, कार्यालय वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर
14	मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर	प्रावैधिक सहायक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर

संबंधित उप वन संरक्षकगण जिला कलक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि का मनोनयन स्वयं के स्तर पर जिला कलक्टर से सम्पर्क कर करवाना सुनिश्चित करें।

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2016/मृ.आ./कार्मिक/प्रमुवसं/ 637-763

दिनांक : 12/6/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा/वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजन सरिस्का, अलवर/वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
5. समस्त उप वन संरक्षकगण
6. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)

6353 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6353506

Document certified by ARIJIT
BANERJEE <ariban@gmail.com>

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :12-06-2024 10:41:46

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3 (2)2024 / कार्मिक / प्रमुवसं-08806 / 631

दिनांक: 12/06/24

निमित्त,

उप वन संरक्षक,
डूंगरपुर।

विषय :- श्री शत्रुघन अहारी, कनिष्ठ सहायक को टंकण परीक्षा में शिथिलन बाबत।

संदर्भ :- शासन उप सचिव, वन, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प. 7(4)वन/2021-01034-पार्ट-4

दिनांक 19.04.2024 एवं दिनांक 10.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत मृतक आश्रित कर्मचारी को तीन वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। शासन उप सचिव, वन ने संदर्भित पत्र द्वारा निम्न सूचनाएँ चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 251 दिनांक 25.04.2024 द्वारा वांछित सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था किंतु वांछित सूचना आज तक अपेक्षित है। अतः आप उपरोक्त वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

1. श्री शत्रुघन अहारी, कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति तिथि 07.12.2015 से तीन वर्ष पश्चात दिनांक 28.11.2019 व 21.03.2023 को टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रदत्त शिथिलन के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करावें।
2. श्री अहारी द्वारा टंकण परीक्षा हेतु विलम्ब से आवेदन करने व परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे, के संबंध में सूचना।

भवदीय,

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3 (2)2024 / कार्मिक / प्रमुवसं-08806 / 632

दिनांक : 12/06/24

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

RajKaj Ref

1982019



Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Gupta
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.06.12 11:24:24 IST
Reason: Approved